कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 117 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 27 जनवरी, 2016

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सिंह,
नई बस्ती, आशा रोड़ी,
पो0ओ0–क्लेमेन्ट टाउन, देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 1354 दिनांक 23 जनवरी, 2016 के साथ संलग्न अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत तीन बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित तीन बिन्दुओं की सूचना पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 से धारा 20 तक की छायाप्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में,"अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली---हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं --- (1) यदि कोई व्यक्ति---

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा----एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

[5][**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**---इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो---

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ---[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित।
[2] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।
[3] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।
[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।
[5] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(1ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान-मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।]

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में, कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहां मामूली तौर से निवासी है ।

[1][(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता ।]

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद घोषित[2] कर दिया है जिसे इस उपधारा के उपबन्ध लागू हैं [3]*** उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को [4]*** उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण [5]*** न किए होता तो वह, उस तारीख को [6]*** मामूली तौर से निवासी होता ।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि [7][यदि मेरी सेवा अर्हता] न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण [8]*** न किए होता । जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को [9]*** मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह [7][स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है] ।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति [10]*** की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से [11]*** निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

[12][(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तथ्यों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा ।]

---

[1] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पदों की अधिसूचना सं0 का0 आ0 959, तारीख 18 अप्रैल, 1960 द्वारा घोषित किया गया :-

(1) भारत का राष्ट्रपति ।
(2) भारत का उपराष्ट्रपति ।
(3) राज्यों के राज्यपाल ।
(4) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री ।
(5) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य ।
(6) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री ।
(7) संघ या किसी राज्य के उप मंत्री ।
(8) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष ।
(9) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति ।
(10) संघ राज्यक्षेत्रों के उपराज्यपाल ।
(11) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष ।
(12) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उप सभापति ।
(13) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव ।

[3] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) " या नियोजन" शब्दों का लोप किया गया।

[6] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[7] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[9] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया ।

[10] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

[11] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया ।

[12] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित मूल उपधारा (7) का, 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 14 द्वारा, लोप किया गया था।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता से"—

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबंध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है ।

[1][**20क. भारत से बाहर निवास कर रहे भारत के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध**—(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक,—

(क) जिसका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है ;

(ख) जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ; और

(ग) जो भारत में अपने मामूली निवास-स्थान से, अपने नियोजन, शिक्षा या अन्यथा भारत से बाहर रहने के कारण अनुपस्थित रहा है (चाहे अस्थायी रूप से है या नहीं),

ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र की, जिसमें भारत में उसका ऐसा निवास-स्थान जो उसके पासपोर्ट में उल्लिखित है, अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार होगा ।

(2) वह समय, जिसके भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे और उपधारा (1) के अधीन निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए ।

(3) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अन्यथा पात्र है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले किसी निर्वाचन में मतदान करने की अनुज्ञा दी जाएगी ।]

[2][**21. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण**—(1) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से और विहित रीति में तैयार की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने अंतिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगी ।

[3][(2) उक्त निर्वाचक नामावली का—

(क) विहित रीति में पुनरीक्षण तब के सिवाय जब कि उन कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले, तथा

(ii) निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उपनिर्वाचन से पहले, अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा; तथा

(ख) विहित रीति में किसी वर्ष में पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा, यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है :

परन्तु यदि निर्वाचक नामावली का यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण न किया गया हो तो उससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधिमान्यता या निरन्तर प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निदेश, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी भी समय दे सकेगा :

परन्तु उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपने उस रूप में, जिसमें वह किसी ऐसे निदेश के निकाले जाने के समय प्रवृत्त है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक ऐसे निर्दिष्ट किया गया विशेष पुनरीक्षण समाप्त न हो जाए ।

[4][**22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की शुद्धि**—यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, हो जाता है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि—

(क) किसी विशिष्ट में गलत है या त्रुटिपूर्ण है,

---

[1] 2010 के अधिनियम सं0 36 की धारा 2 द्वारा (10-2-2011 से) अंतःस्थापित ।
[2] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 15 द्वारा धारा 21 से धारा 25 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 9 द्वारा (14-12-1966 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 9 द्वारा धारा 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

विशेष वाहक द्वारा
पत्रांक : 1354 / रा.नि.आ.-1/2020/2016

दिनांक 23-01-2016

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सुभाष रोड, उत्ततराखण्ड शासन,
देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री राजेन्द्र सिंह, नई बस्ती, आशा रोड़ी, पो0ओ0–क्लेमेन्ट टाऊन, देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक रहित जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 23.01.2016 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी **03 बिन्दुओं** की सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–सूचना का अनुरोध पत्र की छायाप्रति।

23.1.16
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2020/2016 तद्दिनांक। (पंजीकृत डाक से)

प्रतिलिपि– श्री राजेन्द्र सिंह, नई बस्ती, आशा रोड़ी, पो0ओ0–क्लेमेन्ट टाऊन, देहरादून। पिन–248002

(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

1124
23/1/16

सेवा में,

SO-1 / APIO
कृ. आवेदन CEO, UK
को हस्तान्तरित करने
हेतु पत्रावलि प्रस्तुत करें।
23.1.16
(प्रभात कुमार सिंह)
सहायक आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड

श्रीमान लोक सूचना
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
रिंग रोड देहरादून उत्तराखण्ड

श्री नयाल
23/1/16

विषय :- प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र

महोदय,

प्रार्थी आप से निवेदन करता है, कि प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रार्थी को वोटर कार्ड से सम्बन्धित विषय पर जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र

1 महोदय क्या कोई व्यक्ति जो कि देहरादून में नेपाल से आकर किराये के मकान पर रह रहा है। क्या उसको वोटर कार्ड बनाने का अधिकार है। कुछ नेपाल से आये व्यक्ति ने वोटर कार्ड बना लिया है, क्या उसको वोट देने का अधिकार है, या नहीं कृपया महोदय लिखित रूप देने की कृपा करे,

2 महोदय जो नेपाली नागरिक भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद वह व्यक्ति उत्तराखण्ड में ही रह रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति को वोटर कार्ड बनाने का अधिकार है। या नहीं कृपया लिखित रूप में देने की कृपा करे,

3 महोदय वोटर कार्ड बनाने से पहले गाँव या शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति किरायेदार होने पर बिना सत्यापन किये बिना वोटर कार्ड बनाने का व दूसरे राज्य से आये व्यक्ति

का अपनी स्टेट से वोटर लिष्ट से नाम कटाये बिना
दूसरे स्टेट पर वोटर कार्ड बनाने का अधिकार है। कृपया
महोदय जानकारी देने की कृपा करें,
अतः माननीय महोदय से निवेदन है। कि प्रार्थी को उक्त सूचना
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रदान करने की कृपा करें,

धन्यवाद

दिनांक / / 2016
मो०न० 7060766004

प्रार्थी Rajender

नाम :- राजेन्द्र सिंह
पता :- नई बस्ती आरा रोड़
पो०ओ०:- क्लेमेन्ट टाउन
देहरादून
248002